# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर ( अलवर )

**पीठासीन अधिकारी:— श्री श्याम सुन्दर चेतीवाल (आर ए एस)**

राजस्व वाद संख्या:— 2/264/2023 दायर दिनांक:— 20/10/2023

जीसीएमएस नं0:— 2023/571 निर्णय दिनांक:— 27/01/2025

**वउनवान**

1. रामवती पुत्री किशोरीलाल पत्नी बाबूलाल जाति ब्राहमण निवासी शाहपुर तहसील कठूमर हालवासी सुण्डियाना तहसील नदबई जिला भरतपुर

——— सायला

बनाम

1. जगदीश पुत्र किशोरीलाल जाति ब्राहमण निवासी शाहपुर
2. मुकुट पुत्र किशोरीलाल जाति ब्राहमण निवासी शाहपुर
3. गोविन्द पुत्र बन्नो पोत्र किशोरीलाल जाति ब्राहमण निवासी शाहपुर
4. कल्ला पुत्र बन्नो पोत्र किशोरीलाल जाति ब्राहमण निवासी शाहपुर
5. सोनल पुत्री बन्नो पोत्री किशोरीलाल जाति ब्राहमण निवासी शाहपुर
6. सपना पुत्री बन्नो पोत्री किशोरीलाल जाति ब्राहमण निवासी शाहपुर
7. सुशीला पत्नी बन्नो पुत्र बधू किशोरीलाल जाति ब्राहमण निवासी शाहपुर
8. ग्राम पंचायत वहरामपुर कठूमर जिला अलवर

गैरसायलान

**प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955**

उपस्थिति:—1.राजेश अवस्थी— अधिवक्ता प्रार्थी

## —:आदेश:—

सायला द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि किशोरीलाल पुत्र चन्द्रभान जाति ब्राहमण निवासी शाहपुर तहसील कठूमर सायला के पिता थे जिनके तीन पुत्र एंव एक पुंत्री कानूनी वारिस है। सायला ने प्रार्थना पत्र के पेरा सं0 2 में मृतक पिता

उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर) राज०

किशोरीलाल का पारिवारिक सजरा अंकित किया है। सायला व गैरसायल सं0 1 ला0 7 एक ही संयुक्त हिन्दु परिवार के सदस्य है व मृतक किशोरीलाल पुत्र चन्द्रभान के विधिक वारिस है। किशोरीलाल की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 274, 275, 64, 103, 106, 126, 128, 129, 130, 131 वाके ग्राम शाहपुर तहसील कठूमर में थी इस भूमि पर किशोरीलाल ता–जिन्दगी मौके पर काविज रहकर काश्त करते रहे उनके फौत हो जाने पर सायला व गैरसायल सं0 1 ला0 7 उक्त आराजी पर शामलात में काविज रहकर काश्त करते चले आ रहे थे। किशाोरीलाल के फौत हो जाने के वाद गैरसायल सं0 1–2 एंव गैरसायल सं0 3 ला0 7 के पिता एंव पति बन्नो ने गैरसायल सं0 8 से मिलकर किशोरीलाल का विरासत इन्तकाल संख्या 205 दिनांक 05.05.1982 को गैरसायल सं0 1 जगदीश, रेस्पो0 सं0 2 मुकुट एंव गैरसायल सं0 3 ला0 7 के पिता व पति बन्नो के नाम फैसल करवा लिया। सायला मृतक किशोरीलाल की जायन्दा पुत्री है तथा किशोरीलाल की विधिक वारिस है जिसकी चल अचल सम्पत्ति में सायला का मृतक किशोरीलाल के पुत्रों के बराबर हिस्सा है तथा हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम में पुत्र पुत्रियों को पिता की सम्पत्ति में बराबर का हक हिस्सा होता है। सायला ने आज तक अपने पिता किशोरीलाल की चल अचल सम्पत्ति में अपने हिस्से का हक त्याग गैरसायल सं0 1 ला0 7 के हक में नहीं किया। गैरसायल सं0 1–2 व 3 ला0 7 के पिता ने गैरसायल सं0 8 से मिलकर सम्पूर्ण वारिसान के हक में मृतक किशोरीलाल की कृषि भूमि का विरासत इन्तकाल संख्या 205 नहीं खुलवाया। गैरसायल सं0 8 ने मृतक किशोरीलाल के सभी वारिसान की जांच किये विना ही खिलाफ कानून व खिलाफ कानून व खिलाफ मौका इन्तकाल संख्या 205 दिनांक 05.05.1982 को फैसल किया ळै जो इन्तकाल शून्य एंव निरस्त किये जाने योग्य है। इन्तकाल से प्रभावित आराजी पर सायला एंव गैरसायल सं0 1 ला0 7 के कब्जे में है जिस पर सायला अपने हिस्से पर कब्जे काश्त में है उक्त इन्तकाल गैरसायल सं0 8 ने कब्जे एंव मौके एंव मृतक किशोरीलाल के सभी वारिसान की जांच किये विना केवल पुत्रों के हक में स्वीकार किया है तथा पुत्री सायला का नाम छोड दिया है। गैरसायल सं0 8 ने मृतक पिता किशाोरीलाल के विरासत इन्तकाल में सायला का नाम दर्ज नहीं करने में भारी कानूनी भूल की है जो इन्तकाल व गैरसायल सं0 8 का आदेश निरस्त किये

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज.

जाने योग्य है। उक्त इन्तकाल फैसल करते समय गैरसायल सं0 8 ने सायला को सुनवाई का अवसर नहीं दिया तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्वांतों के विपरीत जाकर हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की अवहेलना करते हुये सायला के विरूद्व फैसल किया है जिसमें ग्राम पंचायत वहरामपुर के कोरम की पूर्ति नहीं हुई। इन्तकाल से प्रभावित आराजी गैरसायलान की खातेदारी में दर्ज है। गैरसायलान गलत इन्द्राज के आधार पर उक्त आराजी में सायला के कब्जे काश्त में बाधा पैदा करते है तथा हाल राजस्व रिकार्ड के आधार पर दीगर लोगों को रहन वय करने पर अमादा है यदि गैरसायलान अपने नापाक ईरादों में कामयाव हो गये तो सायला तवाह एंव वर्वाद हो जावेगी दीगर मुकदमा बाजी वढेगी जिससे सायला को अपार हानि होगी जिसकी पूर्ति पैसों में संभव नहीं है। अतः सायला ने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर गैरसायलान को ता फैसला दावा पाबन्द कराने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर की जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलव किया गया। गैरसायलान की ओर से उनके अधिवक्ता हाजिर हुये व गैरसायल सं0 8 की ओर से दिनांक 08.01.2024 को ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत बहरामपुर स्वंय हाजिर हुआ है।

सायला ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में नकल छाया प्रति इन्तकाल संख्या 205 वाके ग्राम शाहपुर की छाया प्रति पेश की है। जो शामिल पत्रावली है।

बहस वकुलाय सुनी गयी। सायला को प्रार्थना पत्र को अपने पक्ष में सावित करने के लिये निम्न तीन विन्दुओं को अपने पक्ष में सावित कराना है–

(1) प्रथम दृष्टा केस

(2) सुविधा का सन्तुलन

(3) ना पूर्ति होने वाली क्षति

1. **प्रथम दृष्टा केसः–** हमने पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया। वकुलाय फरीकेन की वहस सुनी। अधिवक्ता सायला ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को ही दोहराते हुये कथन किया कि सायला मृतक किशोरीलाल की सगी पुत्री है। किशोरीलाल के वारिस

उपखण्ड अधिकारी

सायला रामवती व तीन पुत्र जगदीश, मुकुट व बन्नो पेदा हुये। बन्नो का स्वर्गवास हो गया जिसके वारिस गैरसायल सं0 3 ला0 7 है। मृतक पिता किशोरीलाल के स्वर्गवास के वाद उनका विरासत इन्तकाल सायला (पुत्री) को छोडकर सायला को विना सुनाये, विना वुलाये विना मौका कब्जा की जांच किये खिलाफ मौका व खिलाफ कानून गैरसायलान के नाम ही स्वीकार किया गया है जो गलत है। इन्तकाल से प्रभावित आराजी हाल राजस्व रिकार्ड में गैरसायलान के नाम गलत खातेदारी में दर्ज है। गलत इन्द्राज के आधार पर गैरसायलान सायला को उसके हिस्से से वेदखल करना चाहते है तथा सायला के कब्जे काश्त मे बाधा पैदा करते है तथा हाल राजस्व रिकार्ड के आधार पर उक्त आराजी को रहन वय करना चाहते है यदि गैरसायलान ने ऐसा कर दिया तो सायला को काफी नुकशान व क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी तरह संभव नहीं है। अतः सायला का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर गैरसायलान को पाबन्द किया जावे। अधिवक्ता गैरसायलान ने अधिवक्ता सायला के कथनों का विरोध करते हुये कथन किया कि मृतक किशोरीलाल का विरासत इन्तकाल सायला की सहमति से व उसकी जानकारी में स्वीकार हुआ है। सायला ग्राम शाहपुर में न रहकर अपनी ससुराल में रहती है। इन्तकाल से प्रभावित आराजी पर सायला का ना तो कभी कब्जा रहा और ना अव है। विरासत इन्तकाल स्वीकार हुये 33 साल हो गये है। सायला ने 33 साल वाद गलत तथ्यों के आधार पर मौजूदा प्रार्थना पत्र पेश किया है जिसमें देरी का कोई कारण अंकित नहीं किया है तमाम तथ्य गलत होने से प्रार्थना पत्र सायल खारिज किया जावे। यह सही है कि सायला ने विरासत इन्तकाल सं0 205 वाके ग्राम शाहपुर के स्वीकृत होने के 33 साल वाद प्रार्थना पत्र पेश किया है। सायला मृतक किशोरीलाल की वारिस पुत्री है, उसका इन्तकाल से प्रभावित आराजी पर कब्जा है, इन्तकाल सायला को छोडकर केवल गैरसायलान के नाम ही स्वीकृत किया गया है, इन्तकाल से प्रभावित आराजी में सायला का हक हिस्सा व अधिकार बनता है ये तथ्य तो मूल अपील के निर्णय के समय तय किये जायेगें। इन्तकाल से प्रभावित आराजी हाल राजस्व रिकार्ड में गैरसायलान की खातेदारी में दर्ज है यदि गैरसायलान को पाबन्द कर दिया तो उन्हें नुकशान हो सकता है। सायला को किसी तरह का नुकशान हो रहा हो इस तरह की स्थिति अदालत के समक्ष नहीं है। अतः प्रथम दृष्टा केस गैरसायलान के पक्ष में सावित है।

2. **सुविधा का सन्तुलनः–** सायला मृतक किशन की पुत्री हो तथा विवादित आराजी पर सायला का कब्जा हो तथा प्रार्थना पत्र के तथ्यों को सायला अपने पक्ष में सावित नहीं कर पाई है। विवादित आराजी के गैरसायलान खातेदार काश्तकार है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य से विवादित आराजी पर सायला का कब्जा प्रतीत ना होकर गैरसायलान का कब्जा प्रतीत होता है। सायला को किस तरह की असुविधा हो रही है यह सायला ने सावित नहीं किया है। यदि गैरसायलान को स्थगन आदेश से पाबन्द किया जाता है तो असुविधा सायला को

उपखण्ड अधिकारी

ना होकर गैरसायलान को होना संभव है। अतः सुविधा का सन्तुलन भी गैरसायलान के पक्ष में सावित है।

3. **ना पूर्ति होने वाली क्षतिः**—सायला का हक हिस्सा अधिकार मूल अपील के निस्तारण के समय तय किया जावेगा। यदि गैरसायलान को पाबन्द किया जाता है तो ना पूर्ति होने वाली क्षति सायला को ना होकर गैरसायलान को होना संभव है। सायला को ना पूर्ति होने वाली क्षति किस तरह हो रही है। यह सायला ने सावित नहीं किया है। अतः ना पूर्ति होने वाला विन्दु भी गैरसायलान के पक्ष में प्रवल है। सायला, गैरसायलान को किसी तरह से पाबन्द कराने का अधिकार नहीं रखती है। सायला को किसी तरह का नुकशान क्षति या असुविधा हो रही हो इस तरह की स्थिति अदालत के समक्ष नहीं है। अतः ना पूर्ति होने वाली क्षति भी गैरसायलान के पक्ष में प्रतीत होती है।

उपरोक्त बिन्दुओ के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना—पत्र साबित ना होने के कारण अस्वीकार किये जाने योग्य प्रतित होता है।

## —:आदेशः—

अतः उपरोक्त विवेचन से प्रथम दृष्टा केस सुविधा का सन्तुलन एंव ना पूर्ति होने वाली क्षति तीनों बिन्दु गैरसायलान के पक्ष में सावित है। सायलान अपने प्रार्थना पत्र को सावित करने में असफल रहे है। अतः सायल का प्रार्थना पत्र सावित ना होने से अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। प्रार्थना पत्र फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो वो मूल वाद के साथ संलग्न हो।

निर्णय आज दिनांक 22.12.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे—इजलास सुनाया गया।

श्याम सुन्दर चेतीवाल (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी कठूमर, अलवर